# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

## पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 456 / 2007 / रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 धापली स्त्री रामदेव

2 पारली स्त्री पन्ना

समस्त जाती माली निवासी ढ़ाणी टीबावाली तन गावंड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः—18.10.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बल्लभदासपुरा के भूमि ख0 नं 413 / 1मि. रकबा 1.28 है0 वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में धापली स्त्री रामदेव, पारली स्त्री पन्ना कोम माली सा. ढ़ाणी टीबावाली के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वर्ष 2020 में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन नदी नाला तालाब जोहड़ा की राज्य सरकार के नाम से दर्ज थी। नियमन / आवंटन के जरिये उपरोक्त खसरा नम्बर 413 में से चिड़ीया देवी पत्नी चतरसिंह निवासी गांवड़ी के नाम से रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा का आंवटन नियमन होकर गैर खातेदारी / खातेदारी चिड़ीया देवी पत्नी चतरसिंह निवासी गांवड़ी के नाम से दर्ज है। यह भूमि गलत रूप से आवंटन / नियमन परामर्श दात्री समिति द्वारा गलत रूप से नियमों के विपरीत आवंटन / नियमन किया गया था। उपरोक्त भूमि राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित है, जिसका आवंटन नियमन से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। उपरोक्त भूमि नियमन आवंटन के पश्चात आवंटी की विरासत में या विक्रय के पश्चात् चालू जमाबन्दी में धापली स्त्री रामदेव, पारली स्त्री पन्ना कोम माली सा. ढ़ाणी टीबावाली गांवड़ी के नाम से खातेदारी दर्ज है। अतः उपरोक्त भूमि खातेदार के नाम दर्ज खातेदारी में से हटाकर राज्य सरकार के पक्ष में वापिस दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री रणधीरसिंह काजला ने मेमों ऑफ अपियरेंस पेश किया। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण अनुपस्थित। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। रेफरेन्स आवेदन जिस आवंटन / नियमन आदेश के विरुद्व प्रस्तुत किया गया है उक्त आवंटन / नियमन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 1112 मुताबिक नियमन लिस्ट व तहसीलदार के आदेश की पालना में खसरा नम्बर 353 / 1 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 413 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा चिड़ीया बेवा चतरसिंह कौम राजपूत सा.देह के नाम से तस्दीक किया गया है। इसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 1416 गैरखातेदारी से खातेदारी चिड़ीया बेवा चतरसिंह के नाम से तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण संख्या 1456 व 51 मुताबिक [illegible] के दर्ज किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

माली सा. ढ़ाणी टीबावाली तन गांवड़ी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। चूंकि नामान्तकरण संख्या 1112 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात का आवंटन/नियमन चिड़ीया बेवा चतरसिंह के नाम से होने पर नामान्तकरण तस्दीक किया गया था परन्तु चिड़ीया बेवा चतरसिंह के नाम आवंटन/नियमन होने के पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में अंकित खातेदारान के नाम खातेदारी किस आदेश के आधार पर दर्ज हुई ? इस सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। रेफरेन्स प्रकरण अपूर्ण एवं सरसरी तौर पर दर्ज कराया गया है। अतः आवंटन आदेश एवं सम्पूर्ण दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से रेफरेन्स आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवंटन/नियमन आदेश की जांच करें तथा उपरोक्त आराजियात का अप्रार्थीगण के नाम से गलत आवंटन हुआ है तो सम्पूर्ण दस्तावेजात/आवंटन आदेश सहित पुनः रेफरेन्स आवेदन पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/19

(जयप्रकाश)

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official